न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओमप्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 09/2020 **दायर दिनांकः 23.01.2020**

उनवान

1. जगदीश आयु 44 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति माली
2. कामराज आयु 42 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति माली
3. द्वारकालााल आयु 40 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति माली
4. पृथ्वीराज आयु 38 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति माली
5. रामगोपाल आयु 74 वर्ष पुत्र ओंकार जाति माली
6. रामकिशन आयु 49 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति माली निवासीगण खेड़ली डबका पोस्ट भैसड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 9414650241
7. साधना कंवर आयु 40 वर्ष पत्नी जयराज सिंह जाति राजपूत निवासी काचरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 30.06.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेड़ली डबका पटवार क्षेत्र आटोन तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 13 का ख.नं. 7/212 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 8/213 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 9 का रकबा 1.35 हे0, ख.नं. 19 का रकबा 3.11 हे0, ख.नं. 55 का रकबा 1.52 हे0, ख.नं. 58 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 83 का रकबा 0.51 हे0, ख.नं. 87 का रकबा 1.31 हे0, ख. नं. 94 का रकबा 4.36 हे०, ख.नं. 99 का रकबा 0.28 हे0, ख.नं. 102 का रकबा 0.02 हे०, ख.नं.

103/222 का रकबा 0.03 हे०, ख.नं. 116 का रकबा 0.66 हे0, ख.नं. 128/216 का रकबा 0.05 हे0, ख.नं. 130 का रकबा 0.01 हे०, ख.नं. 131 का रकबा 0.99 हे०, ख.नं. 145 का रकबा 0.03 हे०, ख.नं. 160 का रकबा 0.17 हे0, ख.नं. 163 का रकबा 0.20 हे0 कुल किता 19 का रकबा 14. 75 हेक्टर प्रार्थी क्रम 1 ता 5 के दर्ज खाता स्थित है तथा खाता सख्या 16 का ख.नं. 1/210 का रकबा 0.06 हे०, ख.नं. 3 का रकबा 0.06 हे०, ख.नं. 7 का रकबा 1.63 हे०. ख.नं. 8 का रकबा 0. 73 हे० कुल किता 4 का रकबा 2.48 हेक्टर आराजी प्रार्थी क्रम 6 के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता है तथा वाके ग्राम एवं माल भैसड़ा की खाता संख्या 32 का ख.नं. 580 का रकबा 1.11 हे०, ख.नं. 581 का रकबा 0.31 हे०, ख.नं. 582 का रकबा 2.12 हे०, ख.नं. 582/1175 का रकबा 0.80 हे०, ख.नं. 583/1251 का रकबा 0.15 हे०, ख.नं. 584/1253 का रकबा 0.16 हे0, ख.नं. 588 का रकबा 0.32 हे०, ख.नं. 583 का रकबा 3.58 हे०, ख.नं. 590 का रकबा 0.31 हे०, ख.नं. 591 का रकबा 0.30 हे०, ख.नं. 1332/583 का रकबा 0.10 हे० कुल किता 11 का रकबा 9.20 हेक्टर आराजी प्रार्थिया क्रम 7 साधना कंवर के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता है। नकल नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 13, खाता संख्या 16 व खाता संख्या 32 व नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न है। वाके ग्राम एवं माल भैसड़ा तहसील अटरू की खाता संख्या 282 का ख.नं. 585 का रकबा 0.68 हे0, ख.नं. 593 का रकबा 0.70 हे० कुल किता 2 का रकबा 1.38 हेक्टर किस्म चारागाह आराजी राजस्थान सरकार के दर्ज खाता है तथा ग्राम एवं माल खेड़ली डबका तहसील अटरू की खाता संख्या 60 का ख.नं. 10 का रकबा 0.19 हे0, ख.नं. 11 का रकबा 0.09 हे० कुल किता 2 का रकबा 0.28 हेक्टर किस्म चारागाह राजस्थान सरकार के दर्ज खाता है। नकल नवीन जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न है। प्रार्थी क्रम 1 ता 5 के ग्राम खेड़ली डबका की खाता संख्या 13 का ख.नं. 9, 7/212, 8/213 आराजी व प्रार्थी क्रम 6 के ग्राम खेड़ली डबका की खाता संख्या 16 का ख.नं. 7 व ग्राम भैसड़ा की खाता संख्या 32 का ख.नं. 580, 581, 582, 582/1175 पर आने जाने का स्थाई रास्ता चारागाह भूमि के ग्राम भैसड़ा के ख.नं. 585 का रकबा 0.68 हे०, ख.नं. 593 का रकबा 0.70 हे० तथा ग्राम खेड़ली डबका की चारागाह भूमि के ख.नं. 10 का रकबा 0.19 हे0, ख.नं. 11 का रकबा 0.09 हे0 पर होकर है जिस पर प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, जानवर व अन्य साधन अपने खेतों पर लाते ले जाते चले आ रहे है। रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में A से B अंकों से प्रदर्शित किया गया है। खाता संख्या 282, 60 की नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है।

उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से शान्तिपूर्वक तरीके से करते चले आ रहे है। परन्तु गांव के कुछ लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण के खेतों पर कृषि यन्त्र लाने ले जाने एवं आने जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। बिना सहायता न्यायालय गांव के कुछ लोगों द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध कर देने से तथा उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। अगर गांव के लोग अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपने स्वामित्व की आराजी पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने से वंचित हो जावेगें जिससे प्रार्थीगण समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेगें, सिंचाई नही कर सकेंगे। तथा प्रार्थीगण की आराजी पडत रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा प्रार्थीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण को उनके स्वामित्व की आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थी के ग्राम भैंसड़ा के खाता संख्या 282 ख.नं. 585 का रकबा 0.68 हे०, ख.नं. 593 का रकबा 0.70 हे० चारागाह भूमि तथा ग्राम खेड़ली डबका की खाता संख्या 60 के ख.नं. 10 का रकबा 0.19 हे0, ख. नं. 11 का रकबा 0.09 हे० चारागाह भूमि पर होकर A से B अंकों से प्रदर्शित स्थायी रास्ता 4 मीटर चौड़ाई में खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। विवाद ग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल खेड़ली डबका व भैसड़ा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को उनके स्वामित्व की आराजी पर आने जाने हेतु अप्रार्थी के ग्राम भैंसड़ा के खाता संख्या 282 ख.नं. 585 का रकबा 0.68 हे०, ख.नं. 593 का रकबा 0.70 हे० चारागाह भूमि तथा ग्राम खेड़ली डबका की खाता संख्या 60 के ख.नं. 10 का रकबा 0.19हे0, ख. नं. 11 का रकबा 0.09 हे० चारागाह भूमि पर होकर प्रार्थना पत्र के साथ

संलग्न नक्शे में A से B अंकों से प्रदर्शित स्थायी रास्ता 4 मीटर चौड़ाई में खुलासा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा क्रमांक/राजस्व/2022/1194 दिनांक 25.05.2022 से मौका रिपोर्ट पेश की जो स्पष्ट नही होने से पुनः तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2023/2149 दिनांक 30.11.2023 से पुनः रिपोर्ट पेश की। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा स्वयं मौका देखा गया। मौका स्थिति के अनुसार मौका रिपोर्ट नही होने से तहसीलदार अटरू से पुनः मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/1667 दिनांक 16.05.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेडली पटवार क्षेत्र आटोन के खाता संख्या 13 कुल किता 19 रकबा 14.75 है0 आराजी प्रार्थी क्रम 1 ता 5 दर्ज खाता है तथा खाता संख्या 17 कुल किता 4 रकबा 2.48 है0 प्रार्थी क्रम 6 के अन्य सहखातेदार के साथ दर्ज खाता है तथा ग्राम भैंसडा के ख0नं0 580, 581, 582, 582/1175, 583/1251, 584/1253, 588, 590 आराजी प्रार्थिया क्रम 7 साधना कंवर के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता स्थित है। ग्राम व माल भैंसडा के खाता संख्या 297 के ख0नं0 585 का रकबा 0.68 है0 व ख0नं0 593 का रकबा 0.70 है0 तथा ग्राम खेडली डबका के खाता संख्या 60 के ख0नं0 10 का रकबा 0.19 है0 व ख0नं0 11 का रकबा 0.09 है0 किस्म चारागाह राजस्थान सरकार के दर्ज खाता स्थित है। ग्राम खेडलीडबका के ख0नं0 9, 7/212, 8/213 व ग्राम भैंसडा के ख0नं0 580, 581, 582, 582/1175 पर आने जाने का स्थाई रास्ता चारागाह भूमि के भैंसडा के ख0नं0 585 व ख0नं0 593 तथा खेडलीडबका की चारागाह भूमि के ख0नं0 10 व 11 पर होकर लेना चाह रहे है। वर्तमान में उक्त खसरों पर जाने के लिए रास्ता अवरूद्व है। ग्रामवासियों के बताये अनुसार उक्त ख0नं0 पर आने जाने के लिए ग्राम खेडलीडबका के ख0नं0 10 व 11 का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में बाबूलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी खेडलीडबका ने भैंसडा के चारागाह भूमि ख0नं0 585 पर अवैध मकान रखा है। इस ख0नं0 में से होकर ख0नं0 582 व 586 के खातेदार जयराज सिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत व रामगोपाल पुत्र औंकारलाल जाति माली का आने जाने का आम रास्ता था जिसे बाबूलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली ने अवरूद्व कर दिया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की मुआवजा राशि डी0एल0सी0 की दूगनी या न्यायालय के आदेश अनुसार अप्रार्थी को जमा कराने को तैयार है।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा पुनः तर्क किया कि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि (सिवायचक/चारागाह) में होकर नया रास्ता चाहिए या किसी विद्यमान रास्ते को चौडा करना चाहता है तो राज्य सरकार के परिपत्र – राजस्व (ग्रुप–9) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.2(63)राज.–9/2014 दिनांक 29.09.2014 के आधार पर रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 व उक्त परिपत्रों प्रावधानों के अधीन प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहुंच रास्ता दिया जावे। उपरोक्त बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं पेश परिपत्रों का अवलोकन किया गया।

निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) को समझना आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना जहॉ

(क). कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख). कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है। यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात समाधान हो जाता है कि–

i- यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है, और

ii- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन/मार्ग का अभाव सिद्व किया गया है।

पुनः पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बहस अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र क्रमांक प 2 (63) राज. 9/2014 दिनांक 29/09/2014 के परिपत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया गया तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अन्य खातेदार की जोत में से नही होकर चारागाह भूमि में से है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–9) विभाग जयपुर श्रीमान शासन संयुक्त सचिव के परिपत्र क्रमांक प 2 (63) राज. 9/2014 दिनांक 29/09/2014 के अनुसार चारागाह भूमि में से रास्ते हेतु चारागाह भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति देकर रास्ता चाहा है। उक्त परिपत्र के अनुसार खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर चारागाह के बदले समर्पण हेतु निर्देश दिए गए थे।

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.2(151)राज–3/2022 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा श्रीमान विशिष्ट शासन सचिव द्वारा निजी खातेदार को संपरिवर्तन के लिए पहुच मार्ग हेतु चारागाह भूमि में से रास्ता दिया जाना विधिसम्मत नही माना है।

उपरोक्त विवरण, विश्लेषण व तहसीलदार रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1667 दिनांक 16.05.2025 के अध्ययन उपरान्त निम्नलिखित तथ्य साबित होते है।

1. उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने के लिए प्रार्थीगण ने ग्राम खेडलीडबका, तहसील अटरू के ख0नं0 585 व ख0नं0 593 से होकर रास्ता चाहा है जो कि चारागाह भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्व है। प्रकरण में रास्ते की आवश्यकता साबित है परन्तु चारागाह भूमि से नियमानुसार रास्ता खुलवाया जा सकता है।
2. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता किसी अन्य खातेदार की जोत से नही होकर चारागाह भूमि से है। बिन्दु संख्या 1 के वर्णन के अनुसार चारागाह भूमि से नियमानुसार अवरूद्व रास्ता खुलवाया जा सकता है। अतः वैकल्पिक मार्ग का अभाव साबित नही होता है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीएक्ट0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां